

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट की शीघ्र होगी टेस्टिंग मंगलवार को लगेगा मीटरिंग इक्यूपमेंट

रतलाम 01 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार नगर के नागरिकों को गन्दे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सीवरेज कार्य के तहत खेतलपुर में निर्मित कये गये एसटीपी प्लांट की शीघ्र टेस्टिंग की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क पटरी पार के क्षेत्र हेतु खेतलपुर में निर्मित कये गये एसटीपी प्लांट के इलेक्ट्रीक का कार्य पूर्ण कया जा चुका है तथा वद्युत संरक्षा वभाग उज्जैन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कया जाकर वद्युत वभाग रतलाम को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया है। वद्युत वभाग रतलाम इंदौर के सेन्ट्रल स्टोर से मीटरिंग इक्यूपमेंट सोमवार को इश्यू करवायेगी जिसकी टेस्टिंग उज्जैन में की जायेगी। टेस्टिंग उपरान्त मंगलवार को मीटरिंग इक्यूपमेंट इंस्टाल कया जायेगा इसके बाद वद्युत वभाग द्वारा वद्युत प्रवाह प्रारंभ कर दिया जायेगा।

वद्युत प्रवाह प्रारंभ होने पर एसटीपी प्लांट के मोटर पम्प आदि की टेस्टिंग की जावेगी व 15 से 20 दिनों में प्लांट उपयोग में आ जायेगा। इसी प्रकार करमदी एसटीपी प्लांट के वद्युत का कार्य प्रारंभ है जो 8 से 10 दिनों में पूर्ण होकर प्रारंभ होने की संभावना है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क शहरी क्षेत्र में सीवर का कार्य पूर्णता की ओर है जो शीघ्र पूर्ण कया जायेगा। डीपीआर अनुसार नगर में 43000 हाउस कनेक्शन कये जाने हेतु जिसमें स ेअब तक 15000 हाउस कनेक्शन कये जा चुक है। लॉक डाउन के कारण एक्स्ट्रा लेबर नहीं आने से कार्य रूका हुआ है लेबर आ जाने पर शीघ्र शेष हाउस कनेक्शन का कार्य कया जावेगा।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडसन कट का वतरण

92 मरीजो को कया मेडसन कट का वतरण

रतलाम 01 मई। को वड-19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडसन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से 01 मई शनिवार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 127 मेडसन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मेडकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार 92 मरीजो को मेडकल कट का वतरण घर पर कया गया। 12 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया 8 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 8 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 6 मरीजो को पूर्व से ही मेडसन कट प्राप्त होना पाया गया।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 01 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों ग लयों भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया

जा रहा है। 01 मई को फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से मे डकल कॉलेज वार्ड क्रमांक 3 रेल नगर वार्ड क्रमांक 5 जवाहर नगर व जवाहर नगर मुक्तिधाम व भक्तन की बावड़ी व त्रिवेणी मुक्तिधाम व अलकापुरी व थावरिया बाजार लम्बी गली व कृष उपज मण्डी सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेज व माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र व कलेक्टर व ई-दक्ष कार्यालय व नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 01 मई। शासकीय मे डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मे डकल कॉलेज के सुवधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मे डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त कया गया है जो मे डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा सीधे जायेगा जुलवानिया  
ट्रांसफर स्टेशनों को कया बंद

रतलाम 01 मई। निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से एकत्रित कये गये गीले व सूखे कचरे को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे जुलवानिया प्रोसेसिंग यूनिट पर ले जाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारीए वार्ड प्रभारीए कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों को निर्देशित कया है क वे 2 मई रववार से घर-घर से एकत्रित कये गये गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक अवस्था में ट्रांसफर स्टेशनों पर नहीं ले जाते हुए सीधे जुलवानिया प्रोसेसिंग यूनिट पर लाया जायेगा जहां कचरे का वजन के उपरांत गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक डाला जायेगा जहां पर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा

सूखे कचरे में से पुस्ताए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कया जावेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये है क यदि कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा डालते पाया गया तो सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालकों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 801 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा रतलाम 01 मई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 01 मई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 801 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान

के तहत 01 मई को लक्कड़पीठा व चांदनी चौक क्षेत्र से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

मास्क नहीं लगाने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 01 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

स्पॉट फाईन दल द्वारा सैलाना बस स्टैण्ड सब्जी मण्डी ए टीआईटी रोड ए डाट की पुल ए दो बत्ती क्षेत्र में 11 ऐसे व्यक्ति जिन्होने मास्क

नहीं लगाया था उन पर 100.100 रुपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोवड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 01 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों व दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त

मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/01/05/2021/धन.पा.निगमए रतलाम.